Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to frame provisions to tackle various objections received after approval of development projects-laid.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): देश के समग्र विकास हेतु समस्त औपचारिकताएँ पूरी करते हुए एक लंबी प्रक्रिया के बाद विकास संबंधी परियोजना को अंतिम रूप दिया जाता है । लेकिन कुछेक मामलों में यह देखा गया है कि जैसे ही स्वीकृत की गई विकास संबंधी परियोजना को प्रारंभ किया जाता है तो तरह-तरह की आपत्तियां सामने आने की वजह से परियोजना का कार्य प्रारंभ ही नहीं हो पाता है, जिससे देश का विकास अवरुद्ध होता है ।

यह विदित है कि सरकार किसी भी विकास संबंधी परियोजना सड़क, पुल, बांध, चिकित्सालय, स्कूल, पार्क-उद्यान इत्यादि को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व भू-स्वामियों, पर्यावरण विशेषज्ञों, ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, निगमों, सरकारी संस्थाओं आदि से आपत्ति स्वीकार करके उनके निष्पादन के पश्चात ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ करती है ।

अतः इस संबंध में, अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी विकास संबंधी परियोजना की रिपोर्ट स्वीकृत किए जाने के पश्चात किसी की भी पुनः आपत्ति स्वीकार न किए जाने और इससे सम्बद्ध किसी भी प्रकरण को न्यायालय में चुनौती न दिए जाने से संबंधित प्रावधान किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए ।